झारखण्ड सरकार

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
# पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।

पत्रांक 1722 (अनु०) / जमशेदपुर / दिनांक 18-7-2018

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल।

विषय :— वन प्रमण्डल, जमशेदपुर अंतर्गत पिपला मोड़ (एन0एच0—33) से घोड़ाबन्ध होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 16.75 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—2089, दि0 05.07.2018.

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित योजना से संबंधित वनभूमि का भवदीय द्वारा दि0 03.07.2018 को अधोहस्ताक्षरी के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त स्थल निरीक्षण के क्रम में पायी गई त्रुटियों का निराकरण निम्नवत् किया जा रहा है —

1. वृक्षों की गणना सूची के संबंध में —

   पूर्व के समर्पित प्रस्ताव में वनभूमि में कुल वृक्षों की सूची Annexure-8 में 592 अदद दिखाई गई थी, जिसका स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रुटियां पायी गई थी। उपरोक्त सभी वृक्षों की गणना पुनः कराई गई है। वर्त्तमान में पुनः गणना करने पर 677 वृक्षों की गणना की गई है। सभी वृक्षों पर Numbering कर लिया गया है। अतः वनक्षेत्र के अंतर्गत पड़नेवाले संशोधित वृक्षों की कुल संख्या—677 है। वनक्षेत्र में पड़नेवाले सभी वृक्षों की गणना की सूची Annexure-8 Revised में दर्शायी गई है तथा गैर वनक्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षों की सूची Annexure-9 Revised में दर्शायी गई है।

2. प्रस्तावित पथ के Realignment के संबंध में –

वर्तमान में जो वनक्षेत्र के अंतर्गत पथ का Alignment निर्धारित किया गया है वह सीधा है तथा न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। अर्थात वर्तमान Alignment में वनभूमि के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल की गणना होती है। इसके अतिरिक्त यदि Alignment Change किया जायगा तो वनक्षेत्र के अंदर सड़क की लम्बाई बढ़ जायगी। तदनुसार वनक्षेत्र का क्षेत्रफल भी बढ़ जायेगा। इसकी पुष्टि प्रस्ताव में समर्पित नक्शा में अंकित पथ के द्वारा की जा सकती है। साथ ही यदि Alignment सीधा से घुमावदार (Curve) किया जाता है तो सड़क पर काफी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः Road Safety के आलोक में भी सड़क का Realignment करना संभव नहीं है। वर्तमान में जो Alignment निर्धारित किया गया है उसमें वृक्षों का पातन भी कम होगा। अतः उक्त के आलोक में प्रस्तावित पथ के Realignment की संभावना नही है।

3. भवदीय के पत्रांक–965, दि0 26.03.2018 द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण Annexure-10 में किया गया है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(signature) 18/7/18

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।